जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, जिला—मुंगेर।

बी.ए. नंबर 790/2026

धरहरा थाना कांड संख्या 92ए/2022

सोनू कुमार बनाम बिहार राज्य।

21.04.2026 काराधीन आवेदक **सोनू कुमार** दिनांक **17.03.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शिव शंकर कुमार के द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक ने पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 886/2026 दाखिल किया गया था, जिसे खारिज किया गया। तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रिमि0 मिसि0 सं0 4672/2024 दाखिल किया, जिसे दिशा निर्देश के साथ खारिज किया गया। आवेदक इसके अलावा किसी भी सक्षम न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है। जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक वार्ड सं0 1 में कार्यरत है। आवेदक को कुल 11,33,900/— रुपए की राशि योजना का कार्य करने हेतु दी गयी। आवेदक ने 6,51,200/— रुपए योजना कार्य हेतु खर्च किया तथा शेष राशि 4,87,200/— रुपए की राशि शेष बची। सत्यता यह है कि आवेदक के द्वारा दिनांक 29.03.2022 को कुल 8,94,121/— रुपए का कार्य किया गया, जिसका प्रमाण मीजरमेंट बुक से स्पष्ट है। आवेदक के द्वारा शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण कर दिया गया है। आवेदक दिनांक 17.03.2026 से कारा में है। आवेदक के फरार होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक श्रीधर प्रसाद सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी धरहरा के ज्ञापांक 442 दिनांक 11.04.2022 के आदेश से मुख्यमंत्री पेयजल निश्चिय योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड सचिव सोनू कुमार एवं अन्य समिति के खातों में राशि हस्तातंरित की गयी, जिसमें आवेदक के खाता में कुल 11,33,900/— रुपए दी गयी तथा जिसमें 6,51,200/— रुपए का आवेदक के द्वारा कार्य किया गया एवं शेष राशि 4,82,700/— रुपए उक्त योजना को पूरा नहीं करने के कारण वसूलने योग्य है। सूचक के आवेदन के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरुद्ध धारा 406, 409, 420/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

उभय पक्षों को सुना।

अभिलेख के अवलोकन किया। अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सरकारी योजना की राशि का गबन करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक को कुल 11,33,900/— रुपए की राशि योजना का कार्य करने हेतु

लगातार

21.04.2026. दिया गया था, जिसमें से 6,51,200/– रुपए का कार्य किया जाना प्राथमिकी में बताया गया है, जबकि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत मीजरमेंट बुक के आधार पर आवेदक के द्वारा 8,94,121/– रुपए का कार्य किए जाने की बात कही गयी है। शेष राशि 2,39,779 /– रुपए आवेदक सरकारी योजना का पैसा वापस करने को तैयार है। साथ ही आवेदक के अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि शेष राशि को तीन किस्त में लौटाने को तैयार हैं। विद्वान अपर लोक अभियोजक भी विद्वान अधिवक्ता की बात का समर्थन करते हैं। आवेदक दिनांक 17.03.2026 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदक **सोनू कुमार** को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा के साथ एवं विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर औपबंधिक रूप से जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदक के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदक शेष राशि 2,39,779/– रुपए का भुगतान आदेश प्राप्ति के तीन माह के अंद तीन समान राशि की किस्त के आधार पर करेंगे।**
3. **आवेदक विचारण न्यायालय में राशि की पहली किस्त की रसीद के साथ बंधपत्र दाखिल करेंगे।**
4. **आवेदक द्वारा जब तीनों किस्तों के द्वारा संपूर्ण शेष राशि लौटा दी जाएगी, तब विचारण न्यायालय आवेदक का जमानत को संपुष्ट कर सकते हैं।**
5. **यदि आवेदक के द्वारा उक्त दी गयी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या तय समय सीमा के अंदर राशि वापस नहीं की जाती है, तो आवेदक का बंधपत्र स्वतः ही खंडित माना जाएगा।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 21.04.2026

प्रतिलिपिः– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, तृतीय मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति भेजी जाती है।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 21.04.2026